



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक 27.06.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त ओमपाल सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम उमरीबडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

ओमपाल सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम उमरीबडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 देवानन्द सैनी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
2. का0 122 कावेन्द्र सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 27.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शहजाद पुत्र रशीद निवासी मौ० खत्रीयान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०स०- 579/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम शहजाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

शहजाद पुत्र रशीद निवासी मौ० खत्रीयान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु०अ०सं०-1251/2005 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु०अ०सं०-501/2010 धारा 13 G एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.मु०अ०सं०-997/2011 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 4.मु०अ०सं०-66/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 5.मु०अ०सं०-758/2019 धारा 110 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 6.मु०अ०सं०-759/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 7.मु०अ०सं०-1028/2016 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 8.मु०अ०सं०-1096/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 9.मु०अ०सं०-54/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 10.मु०अ०सं०-579/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. का0 904 विमल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1319 अर्पित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 27.06.2024

थाना नहतौर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गये सफेद धातु के आभूषण, घडी व 02 मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.06.2024 को वादी श्री थम्मन सिंह पुत्र रामस्वरुप सिंह निवासी ग्राम मुज्जफरपुर नन्हेडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 25.06.2024 की रात्रि में अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घर से एक चांदी का सिक्का, एक जोडी चांदी की पायल, एक जोडी छोटे बच्चे के चांदी के कडे, एक लेडीज हाथ की घडी, एक मोबाइल oppo कम्पनी तथा एक मोबाइल सैमसंग कम्पनी चोरी कर लिये । तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 253/2024 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त वेदप्रकाश उर्फ विकाश पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम मुज्जफरपुर नन्हेडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वेदप्रकाश उर्फ विकाश पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम मुज्जफरपुर नन्हेडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया एक चांदी का सिक्का, एक जोडी चांदी की पायल, एक जोडी छोटे बच्चे के चांदी के कडे, एक लेडीज हाथ की घडी, एक मोबाइल oppo कम्पनी तथा एक मोबाइल सैमसंग कम्पनी बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि कि वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वेदप्रकाश उर्फ विकाश पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम मुज्जफरपुर नन्हेडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

1. एक चांदी का सिक्का
2. एक जोड़ी चांदी की पायल
3. एक जोड़ी छोटे बच्चे के चांदी के कडे
4. एक लेडीज हाथ की घडी
5. एक मोबाइल oppo कम्पनी
6. एक मोबाइल सैमसंग कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री हरिप्रकाश सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. कां० 1252 गौरव चौहान थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. कां० 2500 विशाल कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 27.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 551/2024 धारा 452/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.06.2024 को वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 20.06.2024 को अभियुक्त आरिफ पुत्र हामिद निवासी फरीदपुर भोगन उर्फ भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा घर में घुसकर वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 551/2024 धारा 452/376 भादवि बनाम आरिफ उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र हामिद निवासी फरीदपुर भोगन उर्फ भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

आरिफ पुत्र हामिद निवासी फरीदपुर भोगन उर्फ भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री श्यामपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 11 राजेश प्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1797 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 27.06.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.06.2022 को अभियुक्तगण वसीम पुत्र स्व0 नईम निवासी ग्राम ढकिया उर्फ महबुल्लापुर ढाकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर आदि कुल 05 नफर के विरुद्ध भौतिक एवं आर्थिक लाभों की पूर्ति के उद्देश्य से क्षेत्र में चोरी जैसे अपराध कारित कर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किये जाने के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 260/22 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 27.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-VI/गैंगस्टर अधिनियम, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 260/22 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त वसीम पुत्र स्व0 नईम निवासी ग्राम ढकिया उर्फ महबूल्लापुर ढाकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- वसीम पुत्र स्व0 नईम निवासी ग्राम ढकिया उर्फ महबूल्लापुर ढाकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 27.06.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.06.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सीटू पुत्र अशोक निवासी ग्राम रतनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0स0-298/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम सीटू उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

सीटू पुत्र अशोक निवासी ग्राम रतनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त सीटू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 568/2023 धारा 500/504/506 भादवि व 67(A) आईटी एक्ट व धारा 3(1)W(2) व धारा 3(2)(5)(A) एससी/एसटी एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0स0 298/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 योगेश मावी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1120 राहुल चौधरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1947 सोनू सहगल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक 27.06.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 224/2024 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त को चोरी की गयी स्पलेन्डर मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.05.2024 को वादी श्री मौ0 अहमद पुत्र मौ0 हुसैन निवासी ग्राम नवादा केशो थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 12.05.2024 को वादी की स्पलेन्डर मोटरसाइकिल रजि0सं0 UP20BV6594 दुकान के बाहर खडी थी, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 224/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.शम्भू सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम जागीर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.शिवम पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी शेरपुर रैनी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।



कार्यवाही –

जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.06.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 224/24 धारा 379 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त शम्भू सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम जागीर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी की गयी स्पलेन्डर मोटरसाइकिल रजि0सं0 UP20BV6594 सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शम्भू सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम जागीर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

स्पलेन्डर मोटरसाइकिल रजि0सं0 UP20BV6594

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 137 अस्कर खाँ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2425 अजय थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 27.06.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 310/24 धारा 379/411 भादवि से संबंधित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.06.2024 को वादी प्रवीन्द्र सिंह जोकि कस्बा स्योहारा स्थित अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि0 में सुरक्षाधिकारी के पद पर तैनात है, ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि उपरोक्त कम्पनी में नाली पर जाली लगाने का कार्य करने आये दो व्यक्ति सुशील कुमार पुत्र प्रेम सिंह व विशाल उर्फ मोनू पुत्र लीला सिंह निवासीगण ग्राम नवादा केशो थाना स्योहारा



जनपद बिजनौर को कम्पनी की फोन्डेशन की लोहे की रॉड से 10 इंच लम्बाई के दो टुकड़े (रॉड) काटकर चोरी कर ले जाते समय मौके पर ही पकड़ लिया गया ।

तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 310/24 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण सुशील कुमार पुत्र प्रेम सिंह व विशाल उर्फ मोनू पुत्र लीला सिंह निवासीगण ग्राम नवादा केशो थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.सुशील कुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम नवादा केशो थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.विशाल उर्फ मोनू पुत्र लीला सिंह निवासी ग्राम नवादा केशो थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

लोहे की दो रॉड (लम्बाई 10 इंच)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

हे0का0 182 जिनेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मण्डावली

दिनांक 27.06.2024

थाना मण्डावली पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मण्डावली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शेर सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी ग्राम गुढा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शेर सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी ग्राम गुढा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री देवपाल सिंह थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 81 नवनीत कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावली

दिनांक – 27.06.2024

“ऑपरेशन स्माईल” अभियान के क्रम में थाना मण्डावली पुलिस द्वारा गुमशुदा 03 नाबालिग बच्चों को 12 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर परिजनों के किया सुपुर्द ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 26.06.2024 को समय करीब 17.00 बजे थाना मण्डावली पर तीन नाबालिग बच्चे 1.उम्र 11 वर्ष 2.उम्र 13 वर्ष व 3.उम्र 14 वर्ष के बिना बताये घर से चले जाने व घर वापस न आने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई । प्राप्त सूचना के आधार पर गुमशुदा तीनों बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु क्षेत्राधिकारी, नजीबाबाद के नेतृत्व में 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया ।



कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों/बच्चों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन स्माईल” के क्रम में गठित टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए लगभग 12 घण्टे के अन्दर आज दिनांक 27.06.2024 को रात्रि में समय करीब 03.30 बजे तीनों बच्चों को मौज्जमपुर रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

बरामदगी –

03 नाबालिग बच्चे

बरामद करने वाली पुलिस टीम –

- 1.श्री विकास कुमार थानाध्यक्ष मण्डावली जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 श्री लाखन लाल थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 4.मु0आरक्षी 342 अभिषेक अहलावत थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 5.मु0आरक्षी 81 नवनीत कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 5.आरक्षी 353 पंकज भार्गव थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 6.आरक्षी 311 कृष्ण कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 27.06.2024

थाना अफजलगढ़ पर तैनात आरक्षी आकाश तोमर के असामयिक दुःखद निधन पर बिजनौर पुलिस विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

अवगत कराना है कि आरक्षी श्री आकाश तोमर पुत्र श्री सौदान सिंह निवासी ग्राम लायन मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत वर्ष – 2018 में आरक्षी के पद पर पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे, जोकि वर्तमान में थाना अफजलगढ़ पर तैनात थे।

आज दिनांक 27.06.2024 को आरक्षी श्री आकाश तोमर शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु क्षेत्र में रवाना हुए थे कि थाना अफजलगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शाहपुर जमाल के निकट आरक्षी श्री आकाश तोमर की मोटरसाइकिल फिसल गयी, जिससे उनके सीने में गम्भीर चोट आयी, जिन्हे उपचार हेतु तत्काल सीएचसी अफजलगढ़ ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने श्री आकाश तोमर उपरोक्त को हायर सेन्टर के लिये रेफर कर दिया, रास्ते में श्री आकाश तोमर की दुःखद मृत्यु हो गयी। घटना के सम्बंध में दिवंगत आरक्षी श्री आकाश तोमर के परिजनों को सूचना दे दी गयी है। स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



बिजनौर पुलिस आरक्षी श्री आकाश तोमर के दुःखद निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा दिवंगत आरक्षी को सद्गति व उनके परिजनों/प्रियजनों के संबल हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आरक्षी श्री आकाश तोमर द्वारा पुलिस विभाग में दिये गये योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा।